

To;

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Through:- District Judge Allahabad.

Sub:- Application for granting advance increments.

Respected Sir,

Most humbly I want to state that undersigned is posted as Additional District Judge, Court No. 2 Allahabad. I would like to draw your kind attention towards letter No. 1363/Two-4-2009-45(12)/91 T.C. dated May 13, 2009 by Secretary Home Government of U.P. Whereby three advanced increments are allowed to the judicial officer who posses post graduate qualification in law as this is supposed to be difficult course and more suitable for the work.

It is most respectfully submitted that undersigned posses LL.M. Degree which has been mentioned at the time of filling the form of UPHJS exam 2016. It is, therefore, requested that this advance increments should be given to me. I am enclosing LL.M. Degree and marksheet and said Government G.O. with this application.

Thanking you.

Dated: 21.08.2021

Vikas Srivastava
Yours Faithfully

Office of the District Judge, Allahabad
Letter No. 2462/E Dated 25/8/21

Forwarded.

District Judge, Allahabad

(Vikas Srivastava)
Addl. District Judge,
Court No. 2, Allahabad



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय:
मास्टर ऑफ लॉज़

श्री विकास श्रीवास्तव

इति नामा/नाम्नी

अस्य विश्वविद्यालयस्य 2003 ईसवीयवत्सरे परीक्षायां ~~द्वितीय~~ श्रेण्यां समुत्तीर्य

मास्टर ऑफ लॉज़ पदवीं प्राप्नोदिति प्रमाणयति ।



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मास्टर ऑफ लॉज़

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री विकास श्रीवास्तव

ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सन् 2003 की परीक्षा ~~द्वितीय~~ श्रेणी में

उत्तीर्ण होकर मास्टर ऑफ लॉज़ उपाधि प्राप्त की ।



BANARAS HINDU UNIVERSITY
Master of Laws

This is to certify that

Shri Vikas Srivastava

obtained the degree of Master of Laws in this University in
the Examination of 2003, and that he/she was placed in
the Second Class.

वाराणसी-VARANASI

दिनांक-DATE November 28, 2003

Vikas Srivastava

Ramesh Chandra Das
इकापति/इकापति/VICE-CHANCELLOR

संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91टीसी

प्रेषक,

कुंदर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
आहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के नियमित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० शेड्यूल आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पैरा-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ० प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में नियमित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-वे०आ०-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(कुंदर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

..... 2

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91दीसी, तृ-दिनांक

प्रतिलिपि उपरिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- मुख्य सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०।
- 9- भगवत कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- क्लर्क (शासनाध्य) अनुभाग-1,2,3, क्लर्क (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 11- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, ककहरी रोड, इलाहाबाद।
- 12- सहायक अनुभाग/दस्तावेज (विद्यमान एसी) एम्प्लॉय उ० प्र० सचिवालय।
- 13- महालेखाकर (लेखा एवं हकशरी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 14- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 16- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोषक), 21 राज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 17- गार्ड फाइल।

ओम्ना से,

Mus

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)

विशेष सचिव।

Serial No : 27

BANARAS HINDU UNIVERSITY

OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

MARKSHEET

LL.M. (FINAL) EXAMINATION-2003

Name of the Candidate : Shri Vikas Shrivastav
Exam. Roll No. : 01L01025 Enrolment No. : 261531
Father's Name : Shri Shyamsundar Shrivastav
Mother's Name : Smt. Usha Devi

PAPERS	Marks Obtained	Full Marks
<u>Optional Group</u>		
<u>Group V : International Law</u>		
Paper I : Law relating to Treaties/Diplomatic and Consular Relation/Law relating to Outer Space	58	100
Paper II : International Courts of Justice/Law of the Seas/International Arbitration	50	100
Paper III : India and International Law/International Law on Human Rights	64	100
Viva-Voce	55	100
Dissertation	127	150
Total Marks in Final Examination	354	550
Marks Obtained at 1 st Year Examination	320	550
Grand Total	674	1,100

PASSED IN SECOND CLASS

Date of Declaration of Result : 29.07.2003

Date of issue of Marksheet consequent upon clearance of dues : 1.8.2003

Prepared by : T. D. Shrivastav

Checked by : 1. M. C. L.

: 2. P. J.

V. V. Menon
Controller of Examinations

Vikas Shrivastav